तलब किया है।

राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन, जयसिंह हाइवे, जयपुर- 302 016

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य कर्मचारियों की दिनांक 1.4.2012 को परिपक्व होने जा रही राज्य बीमा पॉलिसियों के परिपक्वता स्वत्व के भुगतान हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा अग्रिम अधिकार पत्र जारी किए जाएंगे।

विभाग द्वारा संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों को स्वत्व प्रपत्र भिजवा दिए गए हैं। अतः आगामी वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से संबंधित जिला कार्यालयों के उप निदेशक/ सहायक निदेशक को 15 मार्च, 2012 तक अपना स्वत्व प्रपत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी कर्मचारी को स्वत्व प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो इस विभाग के संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

विभाग द्वारा 15 मार्च, 2012 तक प्राप्त होने वाले स्वत्व प्रपत्रों के अधिकार-पत्र दिनांक 31 मार्च, 2012 तक जारी कर दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य बीमा में स्वत्व तिथि के पश्चात बीमा राशि पर बोनस एवं ब्याज देय नहीं है, अतः निर्धारित तिथि तक स्वत्व प्रपत्र आवश्यक रूप से विभाग में भिजवा देवें, ताकि संबंधित को ब्याज का कोई नुकसान नहीं हो।

अतिरिक्त निदेशक (बीमा)

मुख्यालय, जयपुर।

डीआईपीआर/सी/[illegible]/2012